

संपर्क/लिंक-V
विवाह-पूर्व उपनाम को प्राप्त करने हेतु

यदि आवेदक अपना विवाह-पूर्व उपनाम को प्राप्त करना चाहती है, तो उन्हें तलाक की डिक्री/हुक्मनामा या पति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि यदि वह विवाह-पूर्व उपनाम का उपयोग करती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ मोबाइल नंबर एवं आईडी प्रूफ की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

यदि मामला अदालत में है, तो अंतिम फैसला सुनाए जाने तक आवेदक के नाम में परिवर्तन/बदलाव पर कार्यवाई नहीं की जा सकती है।